

कार्यालय -प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म0प्र0)

-:- सूचना-पत्र -:-

क्रमांक- **7759** / तीन-4-2 / 18

सागर दिनांक **26** / 12 / 25

प्रति,

**समस्त सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण
जिला-सागर**

विषय :- डिजीटाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकरणों के स्केनिंग, क्लीनिंग, इंडेक्सिंग एवं विनिष्टीकरण आदि कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करने बाबत

संदर्भ :- रजिस्ट्री जबलपुर का ज्ञापन क्र. 2105 दिनांक 19.12.2025

—000—

उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि संदर्भित ज्ञापन के पालन में डिजीटाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकरणों के स्केनिंग, क्लीनिंग, इंडेक्सिंग एवं विनिष्टीकरण के संबंध में जिला एवं तहसील न्यायालयों में निर्धारित समय अवधि हेतु नियुक्ति की जानी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप पर आवेदन **दिनांक 06.01.2026 को शाम 5:00 बजे** तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

संलग्न :- निर्धारित प्रारूप पर आवेदन मय शर्तें।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर (म0प्र0)

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर, जिला सागर (म.प्र.)

फोटो

विषय :- न्यायिक जिला स्थापना सागर में डिजीटाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकरणों के स्कैनिंग, क्लीनिंग, इंडेक्सिंग एवं विनिष्ठीकरण आदि कार्य करने हेतु आवेदन पत्र।

- 01- आवेदक का नाम :
- 02- पिता/पति का नाम :
- 03- सेवानिवृत्ति दिनांक :
(पी.पी.ओ. की छायाप्रति सहित)
- 04- जन्म दिनांक :
- 05- दिनांक **30.09.2025** को आयु : वर्ष माह दिन
- 06- शैक्षणिक योग्यता :
- 07- कार्य अनुभव :
- 08- मोबाइल नम्बर :
- 09- आधार कार्ड नम्बर :
- 10- पत्राचार का पता :
:
- 11- स्थायी पता :
:

—:: घोषणा पत्र ::—

मैं.....यह घोषण करता/करती हूँ कि मैंने नियुक्ति से संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है। उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही व संपूर्ण है। यदि मेरा आवेदन निर्धारित समय अवधि में मैं कार्यालय में नहीं पहुंचता है अथवा किसी भी स्तर पर कोई भी जानकारी असत्य अथवा अपूर्ण पाई जाती है तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक :-

हस्ताक्षर

नाम.....

शर्तें :-

- 01— तृतीय श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं डिजीटाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य की समाप्ति पर अथवा कर्मचारी की आयु 70 वर्ष होने पर समाप्त की जा सकेगी।
- 02— तृतीय श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारीगण डिजीटाइजेशन समिति तथा मान. रजिस्ट्री जबलपुर के ज्ञापन क्र. 1481 दिनांक 10.10.2018 के साथ संलग्न एनेक्चर के अनुरूप एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार उक्त डिजीटाइजेशन का कार्य संपादित करेंगे।
- 03— सभी तृतीय श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारीगण को अनुबंधित आउट सोर्सिंग कंपनी के नियमानुसार कार्य संपादित करना होगा।
- 04— तृतीय श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारीगण को स्कैनिंग हेतु अनुबंधित कंपनी टी.एण्ड एम. मुम्बई महाराष्ट्र को अनुबंधित शर्तों के अधीन कार्य/नियम अनुसार सार्वजनिक अवकाश की पात्रता होगी।
- 05— आवेदक को आउटसोर्सिंग अनुबंधित कंपनी द्वारा देय मानदेय से नियमानुसार पी.एफ.ई.एस.आई. व अन्य के कटौती उपरांत शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।
- 06— नियुक्ति संबंधित संपूर्ण क्षेत्राधिकार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को होगा तथा कार्य संबंधी शिकायत या कार्य संतोषप्रद न होने की दशा में सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
- 07— कार्य के दौरान अनाधिकृत गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की दशा में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।